डाक्टरों के लिए लाएंगे इन्सेंटिव स्कीम

असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 और पैरा मेडिकल स्टाफ के 120 पद भरे जाएंगे

- सीएम ने कहा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही परिवर्तनकारी पहल

सुखविंदर सिंह सुक्खू

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सकों के लिए 'इन्सेंटिव स्कीम' लेकर आएगी। इस योजना के तहत चिकित्सकों को 20 प्रतिशत इन्सेंटिव प्रदान किया जाएगा। इस योजना में चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पद और पैरामेडिकल स्टाफ के 120 पद भी भरेगी। इससे चिकित्सा शिक्षा और सुदृढ़ होगी और मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कालेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 57, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी में 29, डा. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 32, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 33, डा. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 67 और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 96 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बढ़ने के बाद इन मेडिकल कालेजों के कामकाज में तेजी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी मेडिकल कालेजों में नर्सों के खाली पदों को भर दिया जाएगा और तकनीकी स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगा। राज्य सरकार 3000 करोड़ व्यय कर प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और उपकरण खरीद रही है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जा रहा है।

जमीन चिन्हित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आईजीएमसी शिमला में नए मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए संभावनाएं तलाश करने और जमीन चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चिकित्सा संस्थानों में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य जांच उपकरण और आधारभूत ढांचे का सृजन कर रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता

सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी मेडिकल कालेजों का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार होगा और प्रदेश में हैल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

तिब्बत के राष्ट्रपति पेंपा सेरिंग ने ली शपथ

धर्मशाला। निर्वासित तिब्बत सरकार के नवनिर्वाचित सिक्योंग यानी राष्ट्रपति पेंपा सेरिंग ने बुधवार को दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। पेंपा सेरिंग दूसरी बार लगातार इस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। शपथ समारोह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मकलोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मठ चुगलाखांग यानी दलाईलामा टेंपल में आयोजित किया गया। इस मौके पर 14वें तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा भी खास तौर पर मौजूद रहे। शपथ समारोह से पहले पेंपा सेरिंग धर्मगुरु दलाई लामा का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह को तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य अतिथि, अधिकारी, बड़ी संख्या में आम तिब्बती शामिल रहे

कर्मचारी एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

स्कूल शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा, याचिका का ड्राफ्ट बनाने के निर्देश

- 26 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था कर्मचारी अधिनियम

दिव्य हिमाचल ब्यूरो - शिमला

हिमाचल सरकार ने अनुबंध के सेवालाभ देने से रोकने के लिए लाए गए कर्मचारी एक्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक को इस बारे में एसएलपी का ड्राफ्ट महाधिवक्ता से क्लीयर करवाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने 2024 में लाए कर्मचारी एक्ट को 26 अप्रैल 2026 को रद्द कर दिया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने करीब 450 याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि अगले तीन माह के भीतर पात्र कर्मचारियों को अदालती फैसलों के अनुरूप सभी अनुबंध सेवालाभ सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा था कि सामान्य तौर पर न्यायपालिका पूरे कानून को रद्द करने से बचती है, लेकिन इस एक्ट की धारा 3, 5, 6, 7, 8 और 9 सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ थी। इन धाराओं को हटाने के बाद कानून में कुछ भी बाकी नहीं बचता, इसलिए पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर किया गया है। इस अधिनियम के आधार पर की गई सभी कार्रवाई, लाभों की कटौती या रिकवरी के आदेश भी अदालत ने रद्द कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया था कि राज्य विधानसभा को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जो न्यायपालिका के आदेशों को पूरी तरह से समाप्त कर दे। अदालत ने इसे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और कानून के शासन का उल्लंघन माना था। अदालत ने कहा था कि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण था, क्योंकि यह 12 दिसंबर 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को लाभ से वंचित कर रहा था, जबकि उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को समान लाभ दिए जा रहे थे। कोर्ट ने दोहराया कि जो कर्मचारी आरएंडपी नियमों के तहत पारदर्शी चयन प्रक्रिया से नियुक्त हुए हैं, वे नियमितीकरण के बाद अपनी पिछली अनुबंध सेवा के आधार पर वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के हकदार हैं। इस विवाद का मुख्य केंद्र ताज मोहम्मद और लेख राम बनाम हिमाचल मामले थे।

नया कानून सरकार ने हजारों करोड़ की देनदारी से बचने के लिए यह नया कानून बनाया था। अब इसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, क्योंकि हाईफोर्ट के फैसले पर स्टे के बिना देनदारी से बचा नहीं जा सकेगा।

हिमालयी आपदाओं पर हाईटेक रिसर्च करेगा एचपीयू

आईआईटी रुड़की और सीएसआईआर-सीबीआरआई के सहयोग से होगा शोध

- एचपीयू के शोधार्थियों के लिए खुलेंगे नई तकनीक और इंटर्नशिप के द्वार

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

गुड न्यूज़

एचपीयू ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय भवन अनुसंधान प्रयोगशाला सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की के साथ महत्त्वपूर्ण एमओयू कर हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमता, हरित ऊर्जा और उन्नत तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहल की है। इन समझौतों को विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे एचपीयू की शोध एवं नवाचार क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। इन एमओयू के माध्यम से दोनों संस्थानों के बीच फैकल्टी एक्सचेंज, छात्र विनिमय एवं सेमेस्टर एक्सचेंज कार्यक्रम, संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम, शोधार्थियों के संयुक्त मार्गदर्शन, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, इंटर्नशिप तथा बहुविषयी तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों को कहना है कि यह सहयोग हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन, भू-जोखिम, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी चुनौतियों पर वैज्ञानिक समाधान विकसित करने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कहा कि इन ऐतिहासिक एमओयू से विश्वविद्यालय में अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी सहयोग और वैश्विक अकादमिक सहभागिता को नई गति मिलने की उम्मीद है।

नई तकनीकों पर फोकस निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार रामचंद्रला ने कहा कि एचआईएम-डीआर के क्षमता निर्माण और हिमालयी क्षेत्रों से संबंधित भू-जोखिम, भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, उन्नत सामग्री परीक्षण एवं आपदा न्यूनीकरण तकनीकों पर संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

छात्र विनिमय कार्यक्रम आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. केके पंत ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से एचपीयू की शोध एवं नवाचार क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अनुसंधान, फैकल्टी और छात्र विनिमय कार्यक्रमों, उन्नत सुविधाओं तक पहुंच और उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया।

जम्वाल बोले, कांग्रेस के गिरते ग्राफ को देखकर बौखलाए विक्रमादित्य

राकेश जम्वाल

शिमला। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के लगातार गिरते ग्राफ को देखकर वह पूरी तरह बौखला चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपनी राजनीतिक जमीन और भविष्य तलाश रहे विक्रमादित्य सिंह अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल पर अनर्गल टिप्पणी और बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि वास्तविकता स्वयं विक्रमादित्य सिंह भी जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार तेजी से समाप्त हो रहा है।

एचआरटीसी जल्द दौड़ाएगी 700 नई बसें

इलेक्ट्रिक बसों से निगम को घाटे से उबारने की उम्मीद

अजय वर्मा

दिव्य हिमाचल डेस्क – मटौर

हिमाचल की लाइफलाइन कहलाने वाली एचआरटीसी का जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। परिवहन निगम के बेड़े में जगह बनाने वाली 700 नई बसें घाटे से निरंतर जूझ रही कार्पोरेशन की कहानी कुछ इस अंदाज में लिखने जा रही हैं कि न केवल लोगों का सफर यादगार बनेगा, बल्कि कर्मचारियों-पेंशनरों की दिक्कतें भी दूर होती जाएंगी। यह मानना है एचआरटीसी के वाइन प्रेसिडेंट और हिमाचल कांग्रेस के महासचिव अजय वर्मा का। 'दिव्य हिमाचल' से विशेष बातचीत में श्री वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी कि उनके विश्वास का आधार आखिर है क्या। लगभग एक महीने में एचआरटीसी का हिस्सा बनने वाली इलेक्ट्रिक बसों में से प्रत्येक हर महीने लगभग तीन लाख रुपए का डीजल बचाएगी। यही नहीं, एक करोड़ 72 लाख में आने वाली ऐसी हर बस के रखरखाव का सारा जिम्मा 12 साल तक निर्माता कंपनी उठाएगी। 200 बसों के हिसाब से हर महीने 45 करोड़ रुपए डीजल के बचेंगे, जो परिवहन निगम को घाटे से ही नहीं उबारेंगे, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान को भी पहली तारीख के पास लाते जाएंगे। 300 डीजल और 100 मिडी बसें भी एचआरटीसी की धमनियों में नए रक्त का संचार करेंगी।

एयरपोर्ट के गेट उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट विस्तार के दौरान बिना केंद्रीय सहायता प्रभावितों को हजारों करोड़ का मुआवजा दिलाना मुख्यमंत्री सुक्खू की बड़ी उपलब्धि है। हवाई अड्डे पर विस्तृत जानकारी में उन्होंने बताया कि ड्राइंग के अनुसार इन और आउट गेट धर्मशाला की ओर होंगे। इसके पास फोरलेन निर्माण के लिए तीन सर्वे केंद्र के पास भेजे गए हैं और इस संबंध में जल्द फैसला होने वाला है।

कर्मचारियों की सुरक्षा अजय वर्मा एचआरटीसी के कर्मियों से सड़क पर होने वाले दुर्व्यवहार से चिंतित नजर आए। उन्होंने बताया कि किसी भी ऐसी स्थिति में नजदीकी आरएम मौके पर पहुंचेंगे। एक ऐप के माध्यम से सभी बस चालक आपस में जुड़े रहेंगे और आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी बसें मदद के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई तो होगी ही।

चुनाव लड़ेंगे क्या आगामी चुनावों में कांगड़ा से कांग्रेस का विधायक प्रत्याशी होने के सवाल पर अजय वर्मा ने कहा कि संगठन में 30 वर्ष के लंबे कार्यकाल में उन्होंने निरंतर मुख्यमंत्री सुक्खू संग काम किया है। उन्हें चुनाव लड़ने का शौक तो नहीं, पर वक्त ही फैसला करेगा। हालांकि उन्होंने यह जोर देकर कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी, वह उसे पूरा समर्थन देंगे, चाहे प्रत्याशी से उनकी बनती हो या नहीं।

तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी की प्रवेश परीक्षा की उत्तरकुंजी

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रवेश परीक्षा के सभी विषयों की फाइनल उत्तरकुंजी जारी की है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने नौ और दस मई को बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए, एमसीए सहित अन्य विषयों की प्रवेश परीक्षा ली थी। सभी विषयों की प्रवेश परीक्षा में 8584 अभ्यर्थी बैठे थे। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक (अतिरिक्त कार्यभार) चिराग शर्मा ने कहा कि प्रवेश परीक्षा की फाइनल उत्तरकुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को उत्तरकुंजी को लेकर कोई त्रुटि सुधार या सुझाव है, तो वह 20 मई तक का समय दिया था। समीक्षा समिति के अभ्यर्थियों के सुझावों पर राय के बाद फाइनल उत्तरकुंजी जारी की जाएगी।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN:L65910KL1992PLC006623,
RegisteredOffice:W-4/638A,ManappuramHouse,
P.O.Valapad,Thrissur-680567,Kerala,India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/06/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
कांगड़ा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, 0138470700003156, 3158, 0138470730003159, 3532, धर्मशाला रोड़ कांगड़ा, 0135950700008027, 8254, 8718, 0135950730010991, योल कैंट, 0139420700002747, 0139420730003536, मंडी, नेर चौक सुंदरनगर, 0139010700003065, 3477, 3522, 0139010730002898, 3026, 3027, 3137, 3139, 3236, 3560, रामनगर मंडी, 0137800730002277, सुंदर नगर-एपी, 0136030700009751, 9759, 9852, 9897, 0091, 0271, 0136030730007026, 7072, 7091, 7092, 7242, 7620, 7974, सोलान, बद्दी एच.पी., 0135990700013568, 3803, 3954, 5579, 5650, 5673, 5692, 5757, 5792, 5864, 5900, 5971, 5994, 6085, 6223, 6335, 6346, 6388, 6946, 6992, 0135990730008514, 8593, 8981, 9963, 0148, 0315, 1538, 0171, परवानू, 0127190730004617, 4669, 4849, ठाकुर कॉम्प्लेक्स सोलन, 0135150700011736, 1744, 1866, 2033, 2066, 2198, 2593, 2873, 2877, 0135150730011903, 2002, 2026, 2128, 2129, 2469, 2765, 3437, 3462, 3522, उना, अम्ब उना एच.पी., 0138770700002240, 2432, 2454, 2494, 0138770730001697, हमीरपुर रोड उना, 0135130700007914, 0135130730005676, 5979, 5980, मेहतपुर बस्देहरा, 0138550700003366, संतोखगढ़ ऊना हिमाचल प्रदेश, 0138710700003591,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9911809139 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु

हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश

हाईकोर्ट सख्त, अवैध पार्किंग, ढाबों और व्यावसायिक कब्जों पर होगी कार्रवाई

- शिमला-रामपुर मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

विधि संवाददाता-शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को व्यावसायिक दुकानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पांच शिमला, ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, रामपुर बुशहर पर स्थित उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बिलबोर्डों को हटाए, जो किसी निजी परिसर में नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि व्यावसायिक संचालकों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने व्यवसाय के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान खोजें और राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन में बाधा उत्पन्न न करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह उक्त मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, निगरानी, गश्त और अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, नए ढाबों, भोजनालयों आदि पर प्रतिबंध और उन्हें हटाने जैसे मुद्दे पर उचित कार्रवाई करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, शिमला को आदेश दिए हैं कि वह एसएचओ ढली के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि इस मार्ग पर नियमित गश्त हो और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पर्यटन सीजन में, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित वन और भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले बस ऑपरेटरों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यटकों को परेशान न किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि ऐसे अनेकों ट्रक व टैक्सी ऑपरेटर इत्यादि राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं और यातायात में असुविधा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधीक्षक शिमला का यह कर्त्तव्य है कि संबंधित पुलिस कर्मी बिना किसी हस्तक्षेप के कार्रवाई सुनिश्चित करें।

चेतावनी जारी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह न्यायालय कर्त्तव्य निर्वाह में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सहित कठोर कदम उठाएगा। कोर्ट ने शिमला स्थित उप.मंडल मजिस्ट्रेट (शहरी) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानून व्यवस्था) को भी उक्त आदेश की अनुपालना को सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

राजीव भवन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके योगदान को याद किया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जवाहर लाल नेहरू की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुई। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनीत गौतम, एसके सहगल, नगर निगम शिमला के पार्षद चमन प्रकाश, विनोद भाटिया, राज कुमार और गीतांजलि भागड़ा सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

विनय कुमार के बोल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने श्रीरेणुकाजी में आयोजित कार्यक्रम में पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा कि देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि नेहरू जी की दूरदर्शी सोच ने आधुनिक भारत को मजबूत आधार प्रदान किया और देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया।

एचएफसीएल लिमिटेड
HFCL GROUP
सीआईएन: L64200HP1987PLC007466
पंजीकृत कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट
सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश)
दूरभाष: 91-1792-230644, फेक्स सं.91-1792-231902
वेबसाईट: www.hfcl.com, **ई-मेल:** secretarial@hfcl.com

सूचना

भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को पुन:प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 (**"सेबी परिपत्र"**) के माध्यम से भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन: प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष विंडो प्रारंभ की थी। सेबी के परिपत्र के अनुसार, जिन शेयरधारकों ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए थे और जिनके अनुरोध दस्तावेजीकरण/प्रक्रिया संबंधी कमियों के कारण अस्वीकृत या वापस कर दिए गए थे, उन्हें 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक वैध दस्तावेजों के साथ ऐसे अस्वीकृत हस्तांतरण अनुरोधों को पुन: प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। निवेशकों को उनकी प्रतिभूतियों तक उचित पहुंच प्राप्त करने में और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, सेबी ने 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डिमैटीयरलाईजेशन (**"डीमैट"**) के लिए एक और विशेष विंडो खोलने का निर्णय लिया है। सेबी ने अब अपने परिपत्र संख्या एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से इस विशेष विंडो को एक वर्ष की अवधि के लिए **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक बढ़ाया गया है।

जो पात्र शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, वे उपर्युक्त अवधि (**05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027**) के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ हस्तांतरण अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट को जमा कर सकते हैं, जिसका पता नीचे दिया गया है।

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
पता: 179-180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई दिल्ली-110020
दूरभाष: 011-41406149-52
ईमेल: **admin@mcsregistrars.com**
वेबसाइट: **www.mcsregistrars.com**

इस प्रकार हस्तांतरित प्रतिभूतियां अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही हस्तांतरी के खाते में जमा की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन अवधि में रहेंगी। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/लियन-मार्क्ड/गिरवी नहीं किया जाएगा।

कृते एचएफसीएल लिमिटेड
हस्ता./-
(मनोज बैद)
अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2026

केएनएच अस्पताल शिफ्ट करने पर 16 तक टली सुनवाई

विधि संवाददाता-शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 16 जून के लिए टल गई है। समय के अभाव के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट द्वारा फिलहाल इसे शिफ्ट न करने को लेकर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किए गए हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की सचिव फालमा चौहान की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले को लेकर सुनवाई की। राज्य सरकार ने हाल ही में कमला नेहरू अस्पताल की गायनी ओपीडी और कुछ अन्य सेवाओं को आईजीएमसी शिफ्ट करने का फैसला लिया है जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है।

सरकार का तर्क सरकार का तर्क है कि आईजीएमसी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं और मरीजों को उन्नत इलाज मिल सकेगा। याचिका में कहा गया है कि कमला नेहरू हॉस्पिटल 1937 से काम कर रहा है और अब इसमें तीन बिल्डिंग हैं, दो सात मंज़िला बिल्डिंग और एक और बिल्डिंग जो पूरी तरह से मदर चाइल्ड केयर और गायनेकोलॉजी और ऑब्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होती है।

मुख्य सचिव दो जून को हाईकोर्ट तलब

विधि संवाददाता-शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजय गुप्ता, जो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं को दो जून को अपनी निजी हैसियत से कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। संजय गुप्ता ने एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने अथवा उस आदेश को वापस लेने हेतु आवेदन दायर किया है। इस आवेदन पर सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने संजय गुप्ता को निजीतौर पर तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने बिश्वा नाथ शर्मा द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। कोर्ट ने संजय गुप्ता के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुख्य सचिव ने विवादित आदेश पारित करते समय इस मूल कानूनी सिद्धांत को नज़रअंदाज़ कर दिया और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय दे दिया। याचिकाकर्ता ने सहायक नगर योजनाकार, उपमंडल नगर योजना कार्यालय, मनाली, जिला कुल्लू, द्वारा 19.02.2025 और 23.04.2025 को पारित भवन नियमितीकरण से इनकार करने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी। मुख्य सचिव ने 11.11.2025 को इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस पुनरीक्षण याचिका को मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने 15.01.2026 को खारिज कर दिया।

17 जून को सुनवाई

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चंबा के चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज को पोक्सो एक्ट में दर्ज मामले में मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 17 जून के लिए टल गई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पीड़िता ने चंबा कोर्ट द्वारा विधायक की दी गई जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने विधायक हंसराज समेत सभी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया था।

मुख्यमंत्री ने दी ईद-उल-जुहा की शुभकामनाएं

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को, ईद-उल-जुहा की शुभकामनाएं दी।

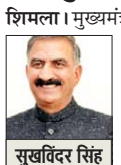

सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री ने मंगल कामना करते हुए कहा कि यह त्योहार समाज को सद्भाव, एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया।